

बिहार सरकार
विधि विभाग

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025



अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ।
3. निगमन।
4. अधिकारिता।
5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य।
6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।
7. लिंग, वर्ग या पंथ का विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय खुलना।
8. प्रवेश में आरक्षण।
9. कुलाधिपति।
10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।
11. कुलपति।
12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य।
13. कुलपति को पद से हटाया जाना।
14. डीन।
15. रजिस्ट्रार।
16. वित्त पदाधिकारी।
17. परीक्षा नियंत्रक।
18. अन्य पदाधिकारी।
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार।
20. सामान्य परिषद्।
21. कार्यकारिणी परिषद्।
22. शैक्षणिक परिषद्।
23. वित्त समिति।
24. योजना बोर्ड।
25. अध्ययन बोर्ड।
26. संबद्धता बोर्ड।
27. अन्य प्राधिकार।

28. परिनियम बनाने की शक्तियाँ।
29. परिनियम, कैसे बनाये जाएँ।
30. विनियम।
31. वार्षिक प्रतिवेदन।
32. निधि।
33. लेखा और लेखा परीक्षा।
34. रिटर्न (विवरण) आदि प्रस्तुत करना।
35. कर्मचारियों की सेवा शर्तें।
36. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन।
37. अपील का अधिकार।
38. भविष्य और पेंशन निधि।
39. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद।
40. आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना।
41. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना।
42. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण।
43. विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाण का तरीका।
44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
45. संक्रमणकालीन उपबंध।

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

जबकि, दुनिया और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के साथ तालमेल रखने की दृष्टि से, विशेष रूप से कौशल विकास में, यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र के भीतर युवाओं को उनके दरवाजे पर अत्याधुनिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय, आधुनिक अनुसंधान और उन्नत अध्ययन सुविधाओं की स्थापना करें और उसे बढ़ावा दे, जिससे विकसित उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ संरेखित एक सक्षम और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन आधार के निर्माण में उसे सक्षम बनाया जा सके;

और जबकि, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, व्यावसायिक शिक्षा, पूर्व शिक्षा की मान्यता, जीवन संवर्धन कार्यक्रमों और शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और ऑनलाइन तरीकों के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, सम्मिलन और विनियमन का उपबंध करना; और आतिथ्य और पर्यटन, भवन निर्माण और अचल संपत्ति, खाद्य प्रसंस्करण, व्यवसाय और वाणिज्य, कपड़ा और परिधान प्रौद्योगिकी, बुनियादी और व्यावहारिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और सक्षम सेवाएँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, विमानन, कार्यक्रम प्रबंधन, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, बागवानी, पशु विज्ञान, फार्मसी, नर्सिंग, शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और विदेशी भाषाएँ, बिजली, सुरक्षा और निगरानी, स्वास्थ्य देखरेख, रत्न और आभूषण, औद्योगिक सुरक्षा और ऐसे अन्य उभरते और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र जो समय-समय पर उद्योग और समाज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं में केन्द्रित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेप को समर्थ बनाना समीचीन है।

बिहार राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसमें सम्मिलित करने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामले के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में यह बिहार राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—

- (1) इस अधिनियम को जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

- (1) "शैक्षणिक परिषद्" से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् अभिप्रेत है ;
- (2) "संबद्ध संस्था" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध संस्था;
- (3) "संबद्धता" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए परिनियमों और विनियमों के अनुसार दी गई संबद्धता;
- (4) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.प.)" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम 52) के अधीन गठित परिषद्;
- (5) "प्रबंधन बोर्ड" से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (6) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
- (7) "मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री;
- (8) "महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है या उसके विशेषाधिकारों से गृहीत किया जाता है;
- (9) "वास्तुकला परिषद्" से अभिप्रेत है वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का केंद्रीय अधिनियम 20) के अधीन गठित वास्तुकला परिषद्;
- (10) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (11) "कार्यकारिणी परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् अभिप्रेत है ;
- (12) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

- (13) "सामान्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् अभिप्रेत है;
- (14) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (15) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" से अभिप्रेत है प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 59) के अधीन सम्मिलित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;
- (16) "भारतीय चिकित्सा परिषद्" से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 102) के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा परिषद्;
- (17) "संस्था" से एक संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय नहीं है;
- (18) "कदाचार" से परिनियमों द्वारा विहित कदाचार अभिप्रेत है;
- (19) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (20) "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी)" से अभिप्रेत है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्;
- (21) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान" से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का केंद्रीय अधिनियम 29) की अनुसूची में सूचीबद्ध संस्था अभिप्रेत है;
- (22) "राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक" से अभिप्रेत है संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक;
- (23) "राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण" से केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण अभिप्रेत है;
- (24) "राष्ट्रीय कौशल विकास निगम" से केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अभिप्रेत है;
- (25) "राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचा" से अभिप्रेत है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कौशल के लिए अर्हता आश्वासन ढाँचा;
- (26) "भारतीय फार्मसी परिषद्" से फार्मसी अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 8) के अधीन गठित परिषद् अभिप्रेत है;
- (27) "योजना बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का 'योजना बोर्ड';

- (28) "विहित" से परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (29) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रधान और इसमें, जहाँ कोई प्राचार्य नहीं है वह व्यक्ति शामिल है जिसे तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया जाता है;
- (30) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्रेत है किसी भी क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों के काम के समन्वय और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ और ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा ऐसे केंद्र को प्रदान किए जायें, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित केंद्र
- (31) "रजिस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (32) "प्रवेश में आरक्षण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन परिभाषित प्रवेश में आरक्षण;
- (33) "स्क्रीनिंग समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 11(3) के अधीन गठित समिति।
- (34) "क्षेत्र कौशल परिषद्" से अभिप्रेत है केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र कौशल परिषद्;
- (35) "कौशल केंद्र" से एक कौशल केंद्र अभिप्रेत है जो छात्रों, युवाओं और अन्य हितधारकों को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है;
- (36) "राज्य" से बिहार राज्य अभिप्रेत है;
- (37) "राज्य सरकार" से बिहार राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (38) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (39) "अध्ययन केंद्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण, संपर्क कक्षाओं के संचालन और छात्रों द्वारा आवश्यक परीक्षाओं के प्रशासन सहित सलाह देने, परामर्श देने या कोई अन्य सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केंद्र;

- (40) "शिक्षकों" से अभिप्रेत है प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में अनुदेश देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जाय और इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानदंडों के अनुरूप एक अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य शामिल है;
- (41) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (42) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (43) "विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन परिभाषित आयोग;
- (44) "कुलपति" से अधिनियम की धारा 11 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है;
- (45) "व्यावसायिक शिक्षा" से ऐसी शिक्षा अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को व्यापार, शिल्प या अभियांत्रिकी, अकाउंटेंसी, नर्सिंग, चिकित्सा, वास्तुकला, विधि आदि जैसे व्यवसायों में सहायक भूमिका में तकनीशियन के रूप में काम करने के लिए तैयार करती है।
- (46) इसमें प्रयुक्त और अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3 निगमन।—

- (1) जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना ऐसी तारीख से की जाएगी जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, जिसमें कुलाधिपति और कुलपति, सामान्य परिषद् के पहले सदस्य, कार्यकारिणी परिषद् और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् और ऐसे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जो इसके बाद ऐसे पद पर या सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जायें जब तक कि वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करना जारी रखते हों।

- (2) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और यह उक्त नाम से मुकदमा कर सकेगा या उसपर मुकदमा दायर किया जा सकेगा।
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

4. अधिकारिता।—

- (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा।
- (2) उस क्षेत्र की सीमाएँ जिसके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसा होगा, जैसा कि सरकार समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु विभिन्न संकायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।
- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित कौशल विकास, उद्यमशीलता, आजीविका, प्रशिक्षण शिक्षणशास्त्र, भाषा प्रशिक्षण, इन्क्यूबेशन सपोर्ट के क्षेत्र में कार्यरत कोई महाविद्यालय या संस्था, ऐसी तारीख से, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयोजित और गृहीत समझी जाएगी और किसी अन्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से किसी भी प्रकार सहयोजित या गृहीत नहीं रहेगी और भिन्न-भिन्न महाविद्यालयों या संस्था के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी:

परन्तु

- (i) उक्त तिथि से पहले किसी अन्य विश्वविद्यालय से जुड़े या प्रवेश प्राप्त किसी भी महाविद्यालय या संस्था के किसी भी छात्र, जो उस विश्वविद्यालय की किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, को उसकी तैयारी में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों की परीक्षाओं को उस विश्वविद्यालय

में लागू अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसी अवधि के लिए आयोजित करेगा, जो परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित की जाय;

- (ii) ऐसे किसी छात्र को, जब तक विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती, अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे उस विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य।—

- (1) उद्योग, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल शिक्षा में गुणवत्ता के सबसे प्रमुख संस्थाओं में से एक के रूप में उभरना;
- (2) कौशल शिक्षा की राष्ट्रीय/राज्य अर्हता के अनुसार विभिन्न स्तरों पर कौशल दक्षता और अर्हित के साथ योग्य युवाओं का विकास करना;
- (3) शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता के लिए सुविधाएँ स्थापित करना;
- (4) प्रगति और गतिशीलता के मार्ग सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत और समग्र तरीके से कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना;
- (5) विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और योग्यता के विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण करना;
- (6) लचीली शिक्षण प्रणालियों और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना;
- (7) दक्षता-आधारित कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करना;
- (8) शिक्षण, अनुसंधान और सतत शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;
- (9) अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना जो राज्य की जरूरतों के लिए ससंगत हों और ज्ञान और इसके अनुप्रयोग को साझा करना;
- (10) किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था, संगठन, विश्वविद्यालय आदि के साथ कौशल विकास प्रयासों के समर्थन में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना;

- (11) लागू नियमों या विनियमों के अधीन राज्य में परिसर स्थापित करना;
- (12) लागू नियमों या विनियमों के अधीन परीक्षा केंद्रों की स्थापना करना;
- (13) संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान/कौशल का प्रसार करना;
- (14) परीक्षा या मूल्यांकन की किसी अन्य तरीके के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियों को स्थापित करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियों के मानक, विनियमन निकाय द्वारा अधिकथित से कम न हों।
- (15) विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं के संकाय सदस्यों और शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए कार्यक्रम चलाना;
- (16) अन्य संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करना;
- (17) विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों में विशिष्ट योगदान देने की सिद्ध क्षमता के साथ विशेषज्ञता के क्षेत्रों में संलग्न होना जो शैक्षणिक जुड़ाव एक सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों से स्पष्ट रूप से अलग है जो कौशल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, डेंटल, फार्मसी, प्रबंधन में पारंपरिक डिग्री की ओर ले जाता है जो पारंपरिक संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है;
- (18) आवश्यक कौशल और सहायता प्रदान करके उद्यमियों का निर्माण करना;
- (19) सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक और निजी उद्योगों को परामर्श प्रदान करना;
- (20) दृढ़ अंतःविषय अभिविन्यास और संबंधों के साथ कई विषयों में व्यापक, और व्यवहार्य पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना;
- (21) विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर उद्योग की आवश्यकताओं के प्रासंगिक हों, के लिए उद्योग के साथ निकट संपर्क स्थापित करना;

- (22) ऐसे उपबंध करना जो संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं को कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में अध्ययन की विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाएँ।
- (23) यह सुनिश्चित करना कि डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधि भारत में वैधानिक विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मानकों से कम नहीं हों; और
- (24) किसी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करना, जो विहित किया जाय।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।—

विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात्:

- (1) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा अधिकथित रीति से विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित नियमों की स्थापना, उनका अनुसूक्षण और प्रवर्तन करना;
- (2) विनिर्माण, कपड़ा, डिजाइन, संभार तंत्र और परिवहन, स्वचालन, रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, बैंकिंग और वित्त, विपणन, आतिथ्य आदि की नई सीमाओं सहित कौशल के उभरते क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करना और प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और इनसे जुड़े क्षेत्रों में उत्कृष्टता भी प्राप्त करना;
- (3) कौशल शिक्षा की संस्थाओं को ऐसी रीति से और ऐसे मापदंडों के अनुसार मान्यता देना और संबद्ध करना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ;
- (4) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित करना और इलेक्ट्रॉनिक और दूरस्थ शिक्षा सहित शिक्षा/प्रशिक्षण प्रणाली और वितरण पद्धतियों में लचीलापन प्रदान करना;
- (5) राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचे द्वारा यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार क्रेडिट ढाँचा विकसित करना;
- (6) विभिन्न स्तरों पर कौशल की पाठ्यचर्या पैकेज विकसित करना, जैसा कि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे द्वारा परिभाषित किया जाय;

- (7) परिनियमों, यूजीसी, वैधानिक निकायों के अनुसार परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य विधि के आधार पर राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचे के अनुरूप डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य शैक्षणिक उपाधि प्रदान करना और ऐसे किसी भी डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि को अच्छे और पर्याप्त कारणों से वापस लेना;
- (8) क्रेडिट फ्रेमवर्क और पाठ्यचर्या पैकेजों जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे के अनुरूप कौशल शिक्षा, शिक्षण और अनुदेश के मानदंडों और मापदंडों को परिभाषित करना,
- (9) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, प्रदर्शनियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (10) अतिरिक्त-भित्ति अध्ययन और प्रसार सेवा को व्यवस्थित करना और शुरू करना;
- (11) इस अधिनियम में अधिकथित तरीके से और शर्तों के अधीन पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र, सहयुक्त, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि प्रदान करना;
- (12) विश्वविद्यालय या संस्था में प्रवेश के लिए परीक्षा के मानदंडों या किसी छात्र के ज्ञान और योग्यता के मूल्यांकन के किसी अन्य उपाय को परिभाषित करना;
- (13) किसी व्यक्ति को डिप्लोमा, पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र प्रदान करने और डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करना जिसने:
- (क) विश्वविद्यालय में या ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अधीन पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है;
- (ख) विश्वविद्यालय में या अनुमोदित संस्थाओं में या बाह्य छात्र के रूप में या समन्वित शिक्षा प्रणाली के अधीन अनुसंधान किया है; या
- (ग) विनियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन इंटर्नशिप कोर्स या व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- (14) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, पुनरुत्पादन और प्रकाशन का उपबंध करना और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना;

- (15) शिक्षकों, विद्वानों, औद्योगिक विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से और आम तौर पर इस तरह से जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुकूल हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में शैक्षिक/औद्योगिक या अन्य संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना जिसका उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः विश्वविद्यालय के समान हो;
- (16) कौशल में छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उद्योगों या प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देना और क्रेडिट अर्जित करने के प्रयोजन से उद्योग में ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण या प्रशिक्षण केंद्र में छात्र द्वारा प्राप्त योग्यता की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित करना;
- (17) सीखने के परिणामों से समझौता किए बिना नए सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट के अंतरण के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- (18) ऐसे विषयों में और ऐसी रीति से जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, परन्तु विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिए एक संसाधन केंद्र स्थापित कर सकेगा और देश के विभिन्न भागों में सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग कर सकेगा जो यूजीसी और राज्य सरकार के नियमों और वित्तियमों के अनुरूप होगा;
- (19) विश्वविद्यालय के सहायक अतिथि या अतिथि संकाय के रूप में महत्वपूर्ण अनुभव, ज्ञान और योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए नियुक्त करना, जैसा कि विश्वविद्यालय विनिश्चित करे;
- (20) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकार सेवाओं सहित अनुदेशों और अन्य सेवाओं के लिए छात्रों, संस्था, उद्योग या निगमित निकाय से फीस और अन्य शुल्कों का भुगतान निर्धारित करना, विनिर्दिष्ट करना और प्राप्त करना, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (21) राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे, या ऐसे अन्य मानदंडों जो विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किए जायें, के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार कौशल शिक्षकों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन और मान्यता के लिए मानदंड निर्धारित करना,

- (22) विश्वविद्यालय से संबंधित या उसमें निहित किसी संपत्ति का ऐसी रीति से अर्जन करना, धारण करना, प्रबंध करना और व्ययन करना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;
- (23) केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकृति प्राप्त करना और वसीयतकर्ताओं, दाताओं या हस्तांतरणकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, से चल या अचल संपत्तियों की वसीयत, दान और अंतरण प्राप्त करना;
- (24) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए काम करने की शर्तों का निर्धारण करना;
- (25) अध्ययन केंद्र, कौशल केंद्र स्थापित करना और स्कूलों, संस्थाओं और ऐसे केंद्रों, विशेष प्रयोगशालाओं या अनुसंधान और अनुदेशों के लिए अन्य इकाइयों को बनाए रखना, जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं;
- (26) विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर किसी अन्य मुख्य परिसर और अन्य परिसरों के छात्रों, पदाधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास के स्थानों की स्थापना और रखरखाव करना;
- (27) कौशल की पूर्व शिक्षा की पहचान और मान्यता के लिए कौशल शिक्षा प्रदान करने हेतु अपना स्कूल स्थापित करना;
- (28) उच्च शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा को जोड़ने के लिए संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने में किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था के साथ सहयोग करना;
- (29) इस अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अधीन, निदेशक, प्राचार्य, विश्वविद्यालय शिक्षक, गैर-अवकाश शैक्षणिक कर्मचारी, शिक्षकेतर कुशल कर्मचारी, प्रशासनिक और अनुसचिवीय कर्मचारियों के पद और ऐसे अन्य पद जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, सृजित करना और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तों को विहित करना;

- (30) छात्रों, उद्योग कार्यपालकों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम के डेवलपर्स, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;
- (31) फिल्मों, पुस्तकों, ई-पुस्तकों, डीवीडी, वेबसाइटों और अन्य सॉफ्टवेयर सहित अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने का उपबंध करना;
- (32) वैश्विक मानकों के लिए सक्षमता, ज्ञान और क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कौशल शिक्षा संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- (33) संविदा में प्रवेश करना, उन्हें पूरा करना, बदलना या रद्द करना;
- (34) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों और विनियमों का निर्माण, संशोधन और रद्द करना;
- (35) जब भी आवश्यक हो निम्नलिखित की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन करना,
 क) ज्ञान संसाधन केंद्र;
 ख) विश्वविद्यालय प्रसार बोर्ड;
 ग) सूचना ब्यूरो;
 घ) रोजगार मार्गदर्शन ब्यूरो;
 ङ) स्वायत्त मूल्यांकन बोर्ड;
- (36) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन का विनियमन करना और उसे प्रवृत्त करना तथा ऐसे अनुशासनिक उपायों का उपबंध करना जो विहित किए जाएँ;
- (37) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों और उद्देश्यों के अनुरूप, विश्वविद्यालय की चल या अचल संपत्तियों के सभी या किसी भी हिस्से को ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे बेचना, विनियम, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटाना; परन्तु अचल संपत्तियों के मामले में, सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- (38) कोई भूमि या भवन या संकर्म जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, क्रय करना

या पट्टे पर लेना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्मों का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;

(39) अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को (परिनियमों और विनियमों को बनाने की शक्ति को छोड़कर) विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करना और ऐसे अन्य कार्य और बातें करना जिन्हें विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, अनुकूल या आनुषंगिक समझे;

(40) ऐसे सभी अन्य कार्य या बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों;

7. लिंग, वर्ग या पंथ का विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय खुलना।— विश्वविद्यालय लिंग, वंश, पंथ, जाति या वर्ग पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए किसी भी व्यक्ति पर उसे उसमें कोई पद धारण करने के लिए नियुक्त करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में भर्ती करने या स्नातक करने या उसके किसी विशेषाधिकार का आनंद लेने या उसका प्रयोग करने के लिए हकदार बनाने हेतु धार्मिक विश्वास या पेशे का कोई भी परीक्षण अपनाना या थोपना वैध नहीं होगा: परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों या समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने से निवारित करना नहीं मानी जाएगी।

8. प्रवेश में आरक्षण।— बिहार राज्य में शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समय-समय पर लागू ऊर्ध्वाधर आरक्षण के उपबंधों को प्रभावित किए बिना, विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्था और महाविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों और श्रेणियों की कुल सीटों का एक तिहाई क्षैतिज रूप से महिला उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए आरक्षित होगा परन्तु यह लाभ केवल बिहार राज्य में अधिवासित महिलाओं को ही उपलब्ध होगा। पात्र महिला उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में, एक ही शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को पुरुष उम्मीदवारों द्वारा सुसंगत श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) से भरा जाएगा।

इन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए, सरकार समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी कर सकेगी।

9. कुलाधिपति।—

- (1) बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
- (2) कुलाधिपति, जब भी उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (3) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध किसी संस्था, उनके भवन, प्रयोगशालाओं और उपकरणों तथा यथास्थिति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित या किए गए परीक्षा, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने तथा यथास्थिति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन या वित्त से जुड़े किसी मामले की बाबत उसी रीति से जाँच कराने या जाँच कराये जाने का अधिकार होगा;
- (4) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों या संस्थाओं को निरीक्षण या जाँच कराने के अपने इरादे की सूचना देगा और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों या संस्थाओं, जैसा भी मामला हो, को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- (5) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जाँच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।
- (6) जहाँ कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण या जाँच करायी गई है, वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और सुनवाई का अधिकार होगा।
- (7) कुलाधिपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संदर्भ में कुलाधिपति को संबोधित कर सकेगा और कुलाधिपति के विचारों और उनकी

सलाह पर की जाने वाली कार्रवाई को कुलपति कार्यकारिणी परिषद् को संसूचित करेगा।

- (8) यदि विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में निरीक्षण या जांच की जाती है, तो कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति के माध्यम से संबंधित कार्यकारिणी परिषद् को संबोधित कर सकेगा, जिसमें उनके विचार और सलाह पर की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख होगा।
- (9) कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के माध्यम से ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो वह ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर करने का प्रस्ताव करती है या की गई है, कुलाधिपति को संसूचित करेगी।
- (10) जहाँ कार्यकारिणी परिषद्, यथास्थिति, कुलाधिपति की तुष्टि के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य नहीं करती है वहाँ कुलाधिपति, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और कार्यकारिणी परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।
- (11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की ऐसी किसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है, निष्प्रभावी कर सकेगा; परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व, कुलाधिपति रजिस्ट्रार से यह हेतुक दर्शित करने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई कारण युक्तियुक्त समय के भीतर दर्शाया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।
- (12) किसी भी मामले पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या पदाधिकारियों के बीच मतभेदों के मामले में, जिसे अन्यथा हल नहीं किया जा सकता है, कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
- (13) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाएँ।

10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।—

- (1) कुलपति;

- (2) डीन;
- (3) रजिस्ट्रार;
- (4) वित्त पदाधिकारी;
- (5) परीक्षा नियंत्रक;
- (6) लाइब्रेरियन;
- (7) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किए जाएँ

11. कुलपति।—

- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा उचित समझी जाए।
- (2) कुलपति की नियुक्ति प्रौद्योगिकी, विज्ञान, लोक प्रशासन, कौशल विकास, फार्मसी या प्रबंधन के क्षेत्र से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:
परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, एक व्यक्ति, उप-धारा (5) में निहित उपबंधों के अधीन, तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:
परन्तु यह और कि कुलपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नए कुलपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। हालांकि, किसी भी मामले में, यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (4) के अधीन गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों (वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए गए नाम) के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति की जाएगी; परन्तु यदि कुलाधिपति इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह नई सिफारिशें मँगा सकेगा ;

- (4) कुलपतियों की नियुक्ति के लिये उपधारा (3) में निर्दिष्ट स्क्रीनिंग समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।
- (5) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसका नवीकरण एक से अनधिक अवधि के लिए किया जा सकेगा :
- परन्तु वह 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद पर नहीं रहेगा, इस तथ्य के बावजूद कि उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है।
- (6) कुलपति की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा यथा विहित की जाएगी;
- (7) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (8) यदि किसी भी समय, किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जाँच करने के बाद, जो आवश्यक समझी जाय, स्थिति इस प्रकार समर्थन करती है और यदि कुलपति की निरंतरता विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलाधिपति, कारणों को बताते हुए लिखित आदेश द्वारा, शासी निकाय के परामर्श से कुलपति से आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से अपना पद त्यागने के लिए कह सकेगा:
- परन्तु इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करने से पहले, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- (9) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाता है या यदि वह खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति को कुलपति के कार्यों का पालन करने के लिए किसी सुप्रसिद्ध व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा जब तक कि नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या जब तक मौजूदा कुलपति अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन शुरू नहीं करता, जैसा भी मामला हो।

12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य।—

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक पदाधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।
- (2) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे प्राधिकारी को इसकी अगली बैठक में ऐसे विषय पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा; परन्तु शक्ति का ऐसा प्रयोग केवल आकस्मिक स्थितियों में किया जाएगा और किसी भी स्थिति में पदों के सृजन और उन्नयन तथा उस पर नियुक्तियों के संबंध में नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ;

परन्तु यह भी कि यदि इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाइयों से व्यथित विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कुलाधिपति को उस तारीख से, जिसको ऐसी कार्रवाई पर विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है, तीन माह के भीतर अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का संपुष्ट, उपांतरित या उलटा कर सकेगा ।

- (3) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों, विनियमों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की शक्तियों से परे है या यह कि लिया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह संबंधित प्राधिकारी से ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय की समीक्षा करने के लिए कह सकेगा और यदि प्राधिकारी विनिश्चय का पूर्णतः या अंशतः समीक्षा करने से इंकार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो

मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

- (4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित किए जायें।
- (5) कुलपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष होगा ।
- (6) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और कार्यकारिणी परिषद्, शैक्षणिक परिषद् और वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा,

13. कुलपति को पद से हटाया जाना।-

- (1) यदि किसी भी समय और ऐसी जांच के बाद, जिसे आवश्यक समझा जाय कुलाधिपति को ऐसा प्रतीत होता है कि कुलपति:-

- i. इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा है;
- ii. विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीके से कार्य किया है, या
- iii. विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहा है।

कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, कुलपति से, उसके कारणों को बताते हुए और राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद, अपने पद से ऐसी तिथि से त्यागपत्र देने के लिए लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

- (2) उप-धारा-1 के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि विशिष्ट आधारों को बताते हुए एक नोटिस नहीं दिया जाता है जिस पर ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर कुलपति को नहीं दिया गया है।

- (3) उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट तारीख से ही यह समझा जाएगा कि कुलपति ने अपना त्याग दे दिया है और कुलपति का पद रिक्त समझा जाएगा ।
14. डीन।— प्रत्येक डीन को इस तरह से नियुक्त किया जाएगा, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।
15. रजिस्ट्रार।—
- (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, सेवा के ऐसे निबंधन और अन्य शर्तों पर, ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ। हालाँकि, विश्वविद्यालय के पहले रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए या परिनियमों द्वारा विहित रजिस्ट्रार की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;
- (2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।
16. वित्त पदाधिकारी।— वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ। हालाँकि, विश्वविद्यालय के पहले वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए या परिनियमों द्वारा विहित वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;
17. परीक्षा नियंत्रक।— परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ। हालाँकि, पहला परीक्षा नियंत्रक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए या परिनियमों द्वारा विहित परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

18. अन्य पदाधिकारी।— विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्ति एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार।— निम्नलिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकार होंगे:

- (1) सामान्य परिषद;
- (2) कार्यकारिणी परिषद;
- (3) शैक्षणिक परिषद;
- (4) वित्त समिति;
- (5) अध्ययन बोर्ड;
- (6) योजना बोर्ड;
- (7) संबद्धता बोर्ड; और
- (8) ऐसे अन्य प्राधिकार जिन्हें परिनियमों द्वारा प्राधिकार के रूप में घोषित किए जाएँ।

20. सामान्य परिषद।—

- (1) सामान्य परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:—
 - (i) कुलाधिपति;
 - (ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (iii) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (iv) मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
 - (v) कुलपति;
 - (vi) सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद;
 - (vii) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
 - (viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
 - (xi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार;

- (xii) निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
- (xiii) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;
- (xiv) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना, बिहार;
- (xv) निदेशक, टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), पटना, बिहार;
- (xvi) कौशल, प्रशिक्षण और उद्यमिता के क्षेत्र में कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात व्यक्ति;
- (xvii) चक्रानुक्रम में तीन साल की अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) महाविद्यालयों के दो प्राचार्य;
- (xviii) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार।
- (2) (i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण सामान्य परिषद का सदस्य बन गया है, उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद या नियुक्ति को धारण नहीं करेगा।
- (ii) पदेन सदस्यों से भिन्न सामान्य परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी;
- (iii) सामान्य परिषद का कोई सदस्य जब वह त्यागपत्र दे देता है या विकृतचित्त हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो सदस्य नहीं रहेगा। कुलपति, रजिस्ट्रार से भिन्न कोई सदस्य, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है या यदि वह पदेन सदस्य नहीं है और वह कुलाधिपति की अनुमति के बिना सामान्य परिषद की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है तो भी सदस्य नहीं रहेगा;

- (iv) पदेन सदस्य से भिन्न सामान्य परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा; और
- (v) सामान्य परिषद् में कोई भी रिक्ति संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए भरी जाएगी और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा।
- (3) सामान्य परिषद् की शक्तियाँ, कृत्य और बैठकें
- (1) सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय की सर्वांगीण प्राधिकार होगी और विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों को समय-समय पर बनाएगी तथा उनकी समीक्षा करेगी और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करेगी एवं उसके पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य भी होंगे, अर्थात्:-
- (i) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और बजट प्राक्कलनों पर विचार करना और पारित करना तथा उन्हें उपांतरण के साथ या उसके बिना अपनाना;
- (ii) अपने कृत्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को विहित करने सहित विश्वविद्यालय के मामलों के प्रशासन से संबंधित परिनियम बनाना ।
- (2) (i) सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी, और सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठकें कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएँगी;
- (ii) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज की एक रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, लेखापरीक्षित तुलन पत्र और वित्तीय प्राक्कलनों के साथ कुलपति द्वारा सामान्य परिषद् को इसकी वार्षिक बैठकों में प्रस्तुत की जाएगी;

- (iii) सामान्य परिषद् की बैठकें कुलाधिपति द्वारा या तो अपने प्रस्ताव पर या सामान्य परिषद् के कम से कम दस सदस्यों की मॉंग पर बुलाई जाएगी;
- (iv) सामान्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए, चौदह दिन की सूचना दी जाएगी। हालांकि, आकस्मिक स्थिति में सामान्य परिषद् की बैठक को कुलाधिपति द्वारा अल्प सूचना पर बुलाया जा सकेगा।
- (v) सामान्य परिषद् की पंजी में मौजूद सदस्यों में से एक तिहाई से गणपूर्ति होगी;
- (vi) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता है, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले कुलाधिपति के पास एक निर्णायक मत भी होगा;

21. कार्यकारिणी परिषद्।-

- (1) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी।
- (2) कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-
 - (i) विश्वविद्यालय का कुलपति;
 - (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो;
 - (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;
 - (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;
 - (v) निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
 - (vi) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;
 - (vii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;

- (viii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;
- (ix) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;
- (x) निदेशक, टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), पटना;
- (xi) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार;
- (xii) उद्योग/उद्योग संघों के तीन प्रतिनिधि;
- (3) कुलपति कार्यकारिणी परिषद् का अध्यक्ष होगा:
- (i) जहाँ कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बन गया है, वहाँ उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद या नियुक्ति को धारण नहीं करता हो;
- (ii) पदेन सदस्यों से भिन्न कार्यकारिणी परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी;
- (iii) कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य, यदि वह त्यागपत्र दे देता है या विकृतचित्त हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से संबंधित किसी दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो सदस्य नहीं रहेगा। कुलपति और रजिस्ट्रार से भिन्न कोई सदस्य यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है तो भी सदस्य नहीं रहेगा;
- (iv) पदेन सदस्य से भिन्न कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य कुलपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही प्रभावी होगा;
- (v) कार्यकारिणी परिषद् में कोई भी रिक्ति संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की अवधि समाप्त होने पर ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा।

(4) कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियाँ, कृत्य और बैठकें

- (1) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा और इस प्रकार उसके पास इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का प्रशासन करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी और वह उस प्रयोजन के लिए और इसके अधीन उपबंधित विषयों के संबंध में भी विनियम बना सकेगी ।
- (2) कार्यकारिणी परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :
 - (i) निम्नलिखित तैयार करना और सामान्य परिषद् को अपनी वार्षिक बैठकों में प्रस्तुत करना:—
 - (क) विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट;
 - (ख) लेखा विवरण; और
 - (ग) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव ।
 - (ii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, संपत्ति, कारबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंध और विनियमन करना तथा उस प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना एवं ऐसी समितियों या विश्वविद्यालय के ऐसे पदाधिकारियों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना जो वह उचित समझे;
 - (iii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;
 - (iv) विश्वविद्यालय की ओर से और उस प्रयोजन के लिए ऐसे पदाधिकारियों को, जो वह उचित समझे, नियुक्त करने के लिए सविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना;
 - (v) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधन प्रदान करना;

- (vi) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की किसी भी शिकायत पर विचार करना, उस पर निर्णय देना और यदि वह उचित समझे, तो उसका निवारण करना;
 - (vii) ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियाँ अवधारित करने के लिए प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करना, सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना जो इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित की जाएँ;
 - (viii) परीक्षकों और मध्यस्थों को नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाने और शैक्षणिक परिषद् से परामर्श करने के बाद उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा एवं अन्य भत्ते नियत करना;
 - (ix) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना; और
 - (x) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जिन्हें आवश्यक समझा जाए; या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किया जाए।
- (3) (i) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक चार महीने में कम से कम एक बार होगी और ऐसी बैठकों की कम से कम चौदह दिन की नोटिस दी जाएगी;
- (ii) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति के निर्देशों के तहत या कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जाएगी;
- (iii) किसी भी बैठक की गणपूर्ति कार्यकारिणी परिषद् के आधे सदस्य से होगी;
- (iv) सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय मान्य होगी;

- (v) कार्यकारिणी परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता होती है तो यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास एक निर्णायक मत भी होगा;
- (vi) कार्यकारिणी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी;
- (vii) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को कागजात के परिचालन द्वारा कारबार करने की अनुमति दे सकेगा। इस प्रकार लिए गए निर्णय तब तक वैध नहीं होंगे जब तक कि कार्यकारिणी परिषद् के अधिकांश सदस्यों द्वारा सहमति न दी जाए। ऐसे निर्णयों की सूचना तुरंत कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों को दी जाएगी। यदि कार्यकारिणी परिषद् निर्णय करने में असफल रहती है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

22. शैक्षणिक परिषद्।-

- (1) शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन होगी तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- (2) शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्;
- (i) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;
- (ii) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;

- (iii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि, जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;
 - (iv) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;
 - (v) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो;
 - (vi) निदेशक, टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, पटना या उसका प्रतिनिधि जो सलाहकार/परामर्शदाता के पद से नीचे का न हो;
 - (vii) प्रतिष्ठित शिक्षाविदों या विद्वान व्यक्तियों या विद्वत वृत्ति के सदस्यों या सुप्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो सेवा में नहीं हैं, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
 - (viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का नामांकित व्यक्ति;
 - (ix) निदेशक, विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;
 - (x) बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दस प्राचार्यों को चक्रानुक्रम में बिहार सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जायेंगे;
 - (xi) कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए उद्योग/उद्योग संघ से नामित तीन सदस्य;
- (3) शैक्षणिक परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठक—अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबंधों और कार्यकारिणी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय में शैक्षिक मामलों और विषयों का संचालन करेगी और विशिष्टतया निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन करेगी, अर्थात् :
- (i) सामान्य परिषद् या कार्यकारिणी परिषद् द्वारा इसे संदर्भित या प्रत्यायोजित किसी भी मामले पर रिपोर्ट करना;

- (ii) विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और संदेय परिलब्धियों और इससे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;
- (iii) संकायों के संगठन के लिए योजनाएँ तैयार करना और उपांतरित करना या पुनरीक्षण करना तथा ऐसे संकायों को अपने संबंधित विषय सौंपना एवं किसी संकाय को समाप्त करने या उप-विभाजन की समीचीनता या एक संकाय के दूसरे के साथ संयोजन के बारे में कार्यकारिणी परिषद् को रिपोर्ट करना
- (iv) विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की आवश्यकता होना;
- (v) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
- (vi) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्री की मान्यता की सिफारिश करना और विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समानता निर्धारित करना;
- (vii) सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी भी शर्त, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उसके पुरस्कार के लिए सिफारिश करना;
- (viii) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो उनको हटाने, उनकी फीस, परिलब्धियों और यात्रा तथा अन्य खर्चों को निर्धारित करने के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;
- (ix) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और उन्हें आयोजित करने की तारीख की सिफारिश करना;
- (x) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा या समीक्षा करना या ऐसा करने के लिए समितियों या पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, और डिग्री, सम्मान,

अनुज्ञप्ति, उपाधियों और सम्मान चिह्न की पुष्टि या प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करना;

- (xi) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की सिफारिश करना और विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार बनाना जो पुरस्कारों से जुड़ी हों;
 - (xii) विहित या अनुशंसित पाठ्यपुस्तकों की सूचियों को अनुमोदित या संशोधित करना और उन्हें प्रकाशित करना और पाठ्यविवरण और अध्ययन के पाठ्यक्रमों को मंजूरी देना;
 - (xiii) समय-समय पर विनियमों द्वारा आवश्यक ऐसे प्रपत्रों और रजिस्ट्रों को मंजूरी देना; और
 - (xiv) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और विनियमों के उपबंधों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।
- (4) (i) शैक्षणिक परिषद् की बैठक जितनी बार आवश्यक होगी, परन्तु शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार होगी;
- (ii) शैक्षणिक परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति शैक्षणिक परिषद् के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्य की होगी।
- (iii) सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय मान्य होगी;
- (iv) शैक्षणिक परिषद् के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि शैक्षणिक परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता हो तो शैक्षणिक परिषद् के अध्यक्ष, या यथास्थिति, बैठकों की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास एक निर्णायक मत भी होगा;

- (v) शैक्षणिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी;
- (vi) यदि शैक्षणिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों को कागजातों के परिचालन द्वारा कारबार करने की अनुमति दे सकेगा। लिया गया निर्णय तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि शैक्षणिक परिषद् के अधिकांश सदस्यों द्वारा सहमति न दी जाए।

इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना तुरंत शैक्षणिक परिषद् के सभी सदस्यों को दी जाएगी। यदि शैक्षणिक परिषद् निर्णय लेने में असफल रहती है तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

23. वित्त समिति।—

वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित होगा।

24. योजना बोर्ड।—

- (1) अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के उन्नयन और विकास हेतु योजनाएँ तैयार करने के लिए योजना बोर्ड प्रमुख निकाय होगा।
- (2) योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित से मिलकर किया जाएगा:—
- (i) कुलाधिपति;
 - (ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (iii) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (iv) मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
 - (v) कुलपति;
 - (vi) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
 - (vii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

- (ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
- (x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार;
- (xi) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
- (xii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
- (xiii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना
- (xiv) निदेशक, टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), पटना
- (xv) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट मानव संसाधन विकास के दो प्रख्यात प्राध्यापक;
- (xvi) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नामांकित व्यक्ति;
- (xvii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामांकित व्यक्ति;
- (xviii) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार।

(3) योजना बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा और विश्वविद्यालय के भविष्य के कार्यक्रमों पर योजनाएँ विकसित करेगा और शैक्षणिक परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् को इसकी सिफारिश करेगा। जब भी आवश्यक समझा जाए विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालिक योजनाओं की भी सिफारिश करेगा।

25. अध्ययन बोर्ड—अध्ययन बोर्ड का संविधान, शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

26. संबद्धता बोर्ड—

- (1) संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय के लिए महाविद्यालयों और संस्थाओं को संबद्ध करने हेतु जिम्मेदार होगा।
- (2) संबद्धता बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

27. **अन्य प्राधिकार**— अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य जो परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएँ, विश्वविद्यालय के प्राधिकार होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।
28. **परिनियम बनाने की शक्तियाँ**— इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:
- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य, जो आवश्यक पाया जाय, समय-समय पर गठित करना;
 - (2) विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना, और उन प्राधिकारों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी मामले जिसका उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
 - (3) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य, और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;
 - (4) पेंशन या भविष्य निधि का गठन और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा योजना की स्थापना;
 - (5) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरीयता को शासित करने वाले सिद्धांत;
 - (6) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थता की प्रक्रिया;
 - (7) विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यकारिणी परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;
 - (8) किसी महाविद्यालय या संस्था को स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित स्वायत्तता की सीमा का प्रयोग किया जा सकेगा;
 - (9) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;
 - (10) डिग्रियों, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना;

- (11) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन संस्थित करना; विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- (12) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।

29. परिनियम, कैसे बनाये जाएँ।—

- (1) पहला परिनियम सरकार द्वारा सामान्य परिषद् की सिफारिश पर बनाया जाएगा।
- (2) सामान्य परिषद्, समय-समय पर, नया या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :
परन्तु सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार की स्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले किसी भी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगी, संशोधन या निरस्त नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकार को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और इस प्रकार व्यक्त की गई किसी भी राय पर सामान्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति की सहमति की आवश्यकता होगी।
परन्तु यदि कोई वित्तीय निहितार्थ है जो परिनियम के तहत उत्पन्न हो सकता है, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।

30. विनियम।— विश्वविद्यालय का प्राधिकार अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हों, जिसका इस अधिनियम, परिनियम में उपबंध नहीं है, के कार्य संचालन के लिए और ऐसे मामले जो परिनियम द्वारा विहित किए जाएँ, के लिए इस अधिनियम और परिनियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगा, परन्तु यदि कोई वित्तीय निहितार्थ हो जो विनियम के तहत उत्पन्न हो सकता है, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।

31. वार्षिक प्रतिवेदन।—

- (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशों के तहत तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य मामलों के अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम शामिल होंगे और ऐसी तारीख को या उसके बाद सामान्य परिषद् को प्रस्तुत किए जाएँगे, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाय और सामान्य परिषद् इसपर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी।
- (2) सामान्य परिषद् अपनी टिप्पणियों के साथ यदि कोई हो, वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

32. निधि।—

- (1) विश्वविद्यालय के पास एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित को जमा किये जाएंगे :
 - (i) फीस, अनुदान, दान और उपहार, यदि कोई हो;
 - (ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा किया गया कोई योगदान या अनुदान;
 - (iii) बंदोबस्ती और अन्य प्राप्तियाँ।
- (2) विश्वविद्यालय के पास ऐसी अन्य निधियाँ हो सकती हैं जो परिनियम द्वारा विहित की जाय;
- (3) विश्वविद्यालय की निधियों और सभी धन का प्रबंधन इस तरह से किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (4) सरकार प्रत्येक वर्ष अध्ययन तथा अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान कर सकेगी।

33. लेखा और लेखा परीक्षा।—

- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्यकारिणी परिषद् के निदेश के तहत तैयार किए जाएंगे और कम से कम प्रत्येक वर्ष एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक के अंतराल पर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक या ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह अपनी ओर से प्राधिकृत करे, लेखापरीक्षित किए जाएंगे।
- (2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सामान्य परिषद् और कुलाधिपति को कार्यकारिणी परिषद् की टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किए गए किसी भी टिप्पणी को सामान्य परिषद् के ध्यान में लाया जाएगा और सामान्य परिषद् की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचार किए जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएँगी।
- (4) कुलपति को प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की एक प्रति भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

34. रिटर्न (विवरणी) आदि प्रस्तुत करना।— विश्वविद्यालय सरकार को अपनी संपत्ति या गतिविधियों के संबंध में ऐसी विवरणी या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी सरकार समय—समय पर अपेक्षा करे।

35. कर्मचारियों की सेवा शर्तें।— विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्त परिनियमों और विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी।

36. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन।—

- (1) कुलाधिपति, अपने प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर, हर पाँच वर्ष में कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा।

- (2) आयोग का गठन कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविदों से मिलकर किया जाएगा, जिनमें से एक सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।
 - (3) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कुलाधिपति अवधारित करे।
 - (4) आयोग ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, कुलाधिपति को सरकार को एक प्रति के साथ अपनी सिफारिशें देगा जिसकी प्रति सरकार को दी जाएगी।
 - (5) कुलाधिपति सरकार के परामर्श से सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।
37. **अपील का अधिकार।**— विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी या विद्यार्थी को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विनिश्चय के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति उसके विरुद्ध अपील किए गए विनिश्चय की पुष्टि, उपांतरण या प्रतिवर्तन कर सकेगा।
38. **भविष्य और पेंशन निधि।**— विश्वविद्यालय अपने कर्मचारी के फायदे के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमें उपलब्ध कराएगा जो वह उचित समझे और यह ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधधीन होगा जो सरकार के परामर्श से परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ।
39. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद।**— यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।
40. **आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना।**— विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों के बीच सभी आकस्मिक रिक्तियों यथाशीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उन सदस्यों को नियुक्त करता है; निर्वाचित करता है या सहयोजित करता है भरी जाएँगी जिनका स्थान रिक्त हो गया है और किसी आकस्मिक

रिक्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित कोई भी व्यक्ति उस अवधि के अवशेष के लिए ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान भरता है वह सदस्य होता।

41. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना।— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल उसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति या रिक्तियों के अस्तित्व के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
42. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण।— इस अधिनियम, परिनियमों या विनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
43. विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाण का तरीका।— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प, या विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज की प्रति, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि, यदि इस प्रकार अभिहित रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की जाती है, तो ऐसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व को प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएगी और उसके विषयों और संव्यवहारों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जहाँ उसका मूल, यदि प्रस्तुत किया जाता है, साक्ष्य में ग्राह्य होगा।
44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों; परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया

जाएगा; परंतु यह और कि इस धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

45. **संक्रमणकालीन उपबंध।**— इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था का कोई छात्र, जो विश्वविद्यालय से संबद्धता की तारीख से ठीक पूर्व अध्ययन कर रहा था या अन्य विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए पात्र था, इस पाठ्यक्रम को इसकी तैयारी में पूरा करने की अनुज्ञा दी जाएगी और विश्वविद्यालय ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति से जो अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के अनुदेश, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए विहित की जाए, उपबंध करेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के युवाओं में कौशल विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य में "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना" तथा "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025" लाये जाने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना वृहत् संख्या में हुई है, जिनके माध्यम से युवाओं को दीर्घावधि एवं अल्पावधि के कोर्स में कौशल प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही, वैश्विक बाजार में कुशल कार्यबल की उभरती हुई माँग तथा कार्य क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु उन्नत एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करना, पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जाना, इसके अनुरूप प्रशिक्षकों एवं छात्रों को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं कौशल विकास से सम्बन्धित शोध एवं नवोन्मेषी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है। उपरोक्त के आलोक में राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिये पूर्व से सात निश्चय पार्ट-1 तथा सात निश्चय पार्ट-2 के तहत चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए कौशल विकास को नई दिशा देने तथा समग्र रूप से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता की गुणवत्ता में निरंतर अभिवर्धन किया जाना आवश्यक हो गया है।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एक पृथक एवं अत्याधुनिक "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय" की स्थापना करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(संतोष कुमार सिंह)
भार-साधक-सदस्य